न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 50/2021

अनवानः कुलदीप कौर बनाम गुरदास सिंह आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आरटीए)

--आदेश-- दिनांक : 26.04.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा उक्त वादपत्र पुरानी जमाबन्दी के आधार पर पेश किया गया है। प्रतिवादी गुरदास सिंह के नाम खाता संख्या 38/38 में कोई भूमि दर्ज नहीं है और जलोर सिंह की भूमि में से जो हिस्सा मुझ प्रतिवादी को मिला था। वह भूमि भी गुरदास सिंह द्वारा अपनी पुत्री नवदीप कौर को जरिए दानपत्र दे दी गई है। गुरदास सिंह के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। इसलिए वादिया का वादपत्र अनफकचूयिस है। जो पोषणीय ना होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा पुरानी जमाबन्दी को लेकर माननीय न्यायालय को गुमराह करके झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है। इसलिए वादिया को कोई वादकारण हासिल नहीं है। इसलिए दावा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी(वादी) अधिवक्ता को दिलवाई गई। अप्रार्थी(वादी) अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान विस्तारपूर्वक सुनी और उस पर मनन किया। वादपत्र, प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र तथा संगत विधिक प्रावधानों के अध्ययन किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) अधिवक्ता के द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादी के द्वारा पुरानी जमाबन्दी को लेकर माननीय न्यायालय को गुमराह करके झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है। इसलिए वादिया को कोई वादकारण हासिल नहीं है। इसलिए दावा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी(वादी) अधिवक्ता के द्वारा बहस में अर्ज किया कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। हस्तगत प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पुराने दस्तावेजात के आधार पर पेश किया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतिवादी गुरदास सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज नहीं है। वादिया [illegible] गुरदास सिंह की भूमि के संवध में अनुतोष चाहा गया है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड [illegible] के नाम भूमि दर्ज नहीं होने के कारण वादिया को कोई अनुतोष न[illegible] वादिया को कोई वाद कारण हासिल नहीं होने के कारण प्रार्थी(प्रतिवादी) का [illegible] स्वीकार किया जा[illegible] हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:26:16 IST
Reason: SelfAttested

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भली-भांति साबित होने एंव सारवान होने तथा वादी के वादपत्र में वादकरण उपस्थित नहीं होने पर स्वीकार किया जाकर वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:26:16 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम आर.ए.एस.

कुलदीप कौर बनाम गुरदास सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 92ए, 188 आरटीए मुकदमा नम्बर 50/2021

निर्णय दिनांक :- 26.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, श्री दलजीत सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आरटीए प्रतिवादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 26.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:26:16 IST
Reason: SelfAttested